न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 189/2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

गुड्डी देवी पत्नी मनीराम जाति सुथार निवासी नाथवाना तहसील संगरिया।

–वादीया

बनाम्

1. पालीराम पुत्र मनीराम जाति सुथार निवासी नाथवाना तहसील संगरिया।
2. उग्रसेन पुत्र मनीराम जाति सुथार निवासी नाथवाना तहसील संगरिया।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित – 1. श्री राजेश बुढानियां एडवोकेट (वादी)
2. श्री संजय सहू एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 2)

निर्णय दिनांकः– 5.3.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि वादीया व प्रतिवादी स 1 व 2 के नाम तहसील संगरिया के चक न 9 एन.टी. डब्लयू ज.स.2073–2076 के खाता स 143/28 मे साझा खाता मे कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि वादीया व प्रतिवादी स 1 व 2 की विरासतन प्राप्त भूमि है जिसकी प्रति सलग्न वादपत्र है। वादीया व प्रतिवादी स 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है जो मृतक मनीराम के जायज व कानूनी वारीसान है। वादीया व प्रतिवादी स 1 व 2 के नाम तहसील संगरिया के चक न 9 एन.टी. डब्लयू ज.स.2073–2076 के खाता स 143/28 मे साझा खाता मे कृषि भूमि दर्जा राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि वादीया व प्रतिवादी स 1 व 2 की विरासतन प्राप्त भूमि है उक्त वाद पत्र की चरण स 2 मे वर्णित भूमि का वादीया व प्रतिवादी स 1 व 2 काफी समय पूर्व अच्छी मंदी अनुसार कर लिया था। मुताबिक घरू विभाजन वादीया को उक्त चक न 9 एन.टी.डब्लयू ज.स.2073–2076 के खाता स 143/28 0.586 है भूमि हक व हिस्सा मे प्राप्त हुई है। प्रतिवादी स 1 व 2 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि अन्य खाता मे प्राप्त कर लिया है इस खाता मे प्रतिवादी स 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है। वादीया इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी व दावेदार है। वादीया ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादी को वादपत्र की चरण सं. 4 में दर्ज भूमि का हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अकंन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहा किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादीगण की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। वाद पत्र बाबत घोषणा का हैं जो उचित 2/– रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है अन्दर मियाद व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। प्रतिवादी संख्या 2 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

अतः वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावें कि चक न 9 एन.टी.डब्लयू ज.स.2073–2076 के खाता स 143/28 मे वादीया को 0.390है भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से प्रतिवादी स 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 3 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा चक 9 एनटीडब्ल्यु खाता सं. 143/28 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबंदी प्रदर्श 1 व इसी चक का नामान्तरण संख्या 766 दिनांक 01.02.2026 प्रदर्श–2 करवाये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 9 एनटीडब्ल्यु खाता सं. 143/28 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीया के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने नामान्तरण संख्या 766 दिनांक 01.02.2026 प्रदर्श 2 करवाई गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। वादीया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की माता है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 मे वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम है जो प्रदर्श 2 से पैतृक साबित है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किया है। जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति/पैतृक अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 9 एनटीडब्ल्यु के खाता संख्या 143/28 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादीया गुड्डी देवी पत्नी मनीराम को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 5.3.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया